होमगार्डस स्वयंसेवकों एवं अवैतनिक पदाधिकारियों के पुन: बहाली संबंधी प्रत्यावेदनों का निस्तारण के संबंध में निर्गत आदेशों/शासनादेशों का विवरण।

क्र0 सं0	दिनांक	आदेश/शासनादेश संख्या	विवरण	पृष्ठ संख्या
1	02-12-2016	शासनादेश 57/2016/2455/पन्चानबे-16-332होगा/16	होमगार्डस स्वयंसेवकों/ अवैतनिक पदाधिकारियों के पुन: बहाली संबंधी प्रत्यावेदनों के निस्तारण किये जाने के संबध में दिशानिर्देश निर्गत किये गये।	**02**
2	05-01-2017	मुख्यालय का आदेश-119/कार्मिक/हो0स्व0-747/2015(पार्ट-2)	निष्कासित होमगार्डस स्वयंसेवकों एवं अवैतनिक अधिकारियों की पुन:बहाली के प्रत्यावेदनों पर 22 बिन्दुओं के प्रारूप पर आख्या उपलब्ध कराये जाने के संबंध में	**05**
3	19-11-2019	शासनादेश 66/2019/1852/पन्चानबे-19-332होगा/16	पुन: बहाली के अवसर पर हाईस्कूल शैक्षिक योग्यता को समाप्त किया गया।	**07**
4	31-05-2021	शासनादेश 22/2021/119/पन्चानबे-2021-575होगा/2008 टीसी ।।	आपराधिक मामलों में संलिप्त होमगार्डस स्वयंसेवकों/ अवैतनिक पदाधिकारियों के आपराधिक मामलों में दोषमुक्त होने पर पुन: बहाली संबंधी प्रत्यावेदनों के निस्तारण संबंधी प्रक्रिया में शिथिलिता प्रदान की गयी।	**08**
5	07-07-2021	शासनादेश 25/2021/1215/पन्चानबे-2021-332होगा/2016	होमगार्डस स्वयंसेवकों/ अवैतनिक पदाधिकारियों के पुन: बहाली के उपरान्त पुनरावृत्ति प्रशिक्षण की आवश्यकता को समाप्त करते हुए डियूटी परेड के अवसर उपलब्ध कराये जाने के संबंध में निर्देश निर्गत किये गये।	**10**
6	10-11-2023	शासनादेश 47/2023/2085/पन्चानबे-2023	होमगार्डस स्वयंसेवकों/ अवैतनिक पदाधिकारियों के पुन: बहाली संबंधी प्रत्यावेदनों का निस्तारण निष्कासन आदेश निर्गत होने के 02 वर्ष के अन्दर मण्डलीय कमाण्डेन्ट, 02 से 04 वर्ष के अन्दर डिप्टी कमाण्डेन्ट जनरल तथा 04 वर्ष वर्ष से 06 वर्ष के अन्दर कमाण्डेन्ट जनरल द्वारा	**12**

संख्या-57/2016/2455/पन्चानवे-16-332 होगा/16

प्रेषक,

स्वामी नाथ पाण्डेय,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महासमादेष्टा,
होमगार्डस, उ0प्र0,
लखनऊ।

होमगाडर्स अनुभाग लखनऊ दिनांक 02 दिसम्बर, 2016

विषय: होमगार्डस स्वयंसेवकों एवं अवैतनिक अधिकारियों के पुन: बहाली सम्बन्धी प्रत्यावेदनों का निस्तारण किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-9589/कार्मिक/हो0स्वा0-18/2011, दिनांक 16.11.2016 एवं पत्र संख्या-9590/कार्मिक/हो0स्वा0-18/2011, दिनांक 16.11.2016 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2 उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि होमगार्डस अधिनियम 1963 की धारा-6(1) में दिये गये प्राविधानानुसार होमगार्डस स्वयंसेवकों एवं अवैतनिक अधिकारियों के पुन: बहाली सम्बन्धी प्रत्यावेदनों का निस्तारण किये जाने के सम्बन्ध में निम्नानुसार कार्यवाही करने हेतु निर्णय लिया गया है :-

<u>होमगार्डस स्वयंसेवकों की पुन: बहाली सम्बन्धी प्रत्यावेदनों के निस्तारण की प्रक्रिया</u>

(1) भूतपर्व होमगार्डस स्वयंसेवकों द्वारा निष्कासन आदेश जारी होने की तिथि से 02 वर्षो के अन्तर्गत प्रस्तुत किए जाने वाले बहाली सम्बन्धी प्रत्यावेदनों का निस्तारण गुण-दोष के आधार पर सम्बन्धित डिप्टी कमाण्डेण्ट जनरल/मण्डलीय कमाण्डेण्ट द्वारा सकारण लिखित आदेश द्वारा किया जायेगा। जहॉं पर दोनों अधिकारी तैनात हों उक्त स्थान पर सक्षम निर्णय डिप्टी कमाण्डेण्ट जनरल का होगा।

(2) भूतपूर्व होमगार्डस स्वयंसेवकों द्वारा निष्कासन आदेश जारी होने की तिथि से 02 वर्षो के पश्चात एवं 04 वर्षो के अन्तर्गत प्रस्तुत किए जाने वाले बहाली सम्बन्धी प्रत्यावेदनों व डिप्टी कमाण्डेण्ट जनरल/मण्डलीय कमाण्डेण्ट के निर्णय के विरूद्व अपील का निस्तारण कमाण्डेण्ट जनरल होमगार्डस, उत्तर प्रदेश द्वारा डिप्टी कमाण्डेण्ट जनरल (पुलिस)/डिप्टी कमाण्डेण्ट जनरल (विभागीय) से अनिम्न की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा अधिकृत स्तर के अनुमोदनोपरान्त गुण-दोष के आधार पर सकारण लिखित आदेश द्वारा किया जायेगा।

(3) भूतपूर्व होमगार्डस स्वयंसेवकों द्वारा निष्कासन आदेश जारी होने की तिथि से 04 वर्षो के पश्चात एवं 06 वर्षो के अन्तर्गत प्रस्तुत किए प्रत्यावेदनों तथा प्रत्यावेदन समिति के

http://shasanadesh.up.nic.in

निर्णय के विरूद्व अपील का निस्तारण गुण-दोष के आधार पर कमाण्डेण्ट जनरल होमगार्डस, उत्तर प्रदेश द्वारा किया जायेगा।

(4) भूतपूर्व होमगार्डस स्वयंसेवकों द्वारा अपना निष्कासन आदेश जारी होने की तिथि से 06 वर्षो के उपरान्त प्रस्तुत किये जाने वाले बहाली सम्बन्धी प्रत्यावेदनों अथवा 50 वर्ष की आयु से अधिक भूतपूर्व होमगार्ड स्वयंसेवक के प्रत्यावेदनों पर किसी भी स्तर पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

(5) बहाली के समय प्रचलित होमगार्डस स्वयंसेवक के पद पर भर्ती हेतु निर्धारित शैक्षिक एवं शारीरिक अर्हताओं को पूर्ण करने वाले भूतपूर्व होमगार्ड स्वयंसेवकों की बहाली पर ही विचार किया जायेगा साथ ही यह भी देखा जायेगा कि उनके चरित्र सत्यापन एवं मेडिकल परीक्षण में कोई प्रतिकूल तथ्य दृष्टिगत न हो।

(6) बहाल किये जाने के पश्चात ग्रामीण होमगार्डस को 13 दिवसीय पुनरावृत्ति प्रशिक्षण एवं शहरी होमगार्डस को 08 दिवसीय पुनरावृत्ति कैम्प प्रशिक्षण कराये जाने के उपरान्त ही ड्यूटी/परेड पर लिया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(7) बहाली सम्बन्धी प्रत्यावेदनों पर तभी विचार किया जायेगा जब भूतपूर्व होमगार्डस से सम्बन्धित ब्लाक/कम्पनी में स्थान रिक्त हो।

(8) एक बार बहाल किये जाने के उपरान्त पुन: निष्कासित किये जाने वाले होमगार्डस के बहाली सम्बन्धी प्रत्यावेदनों पर विचार नहीं किया जायेगा।

(9) निम्नलिखित कारणों से निष्कासित किये गये होमगार्डस स्वयंसेवकों के बहाली सम्बन्धी प्रत्यावेदनों पर विचार नहीं किया जायेगा।

(क) अपराधिक मामलों में अभियोग पंजीकृत होने तथा आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल होने पर मुकदमा मा0 न्यायालय में लम्बित होने की स्थिति में।

(ख) मा0 न्यायालय द्वारा सजायाफ्ता प्रकरणों में।

(ग) होमगार्डस अधिनियम की धारा-3(1) के अनतर्गत अनुशासनहीनता का आरोप जॉच में प्रमाणित पाये जाने पर किये गये निष्कासन के प्रकरणों में।

(घ) भ्रष्टाचार का आरोप जॉच में प्रमाणित पाये जाने पर किये गये निष्कासन के प्रकरणों में।

(ड) अवांछनीय गतिविधियों में संलिप्तता/दुराचरण/नैतिक अधमता का आरोप सिद्व होने की स्थिति में।

<u>**अवैतनिक अधिकारियों की पुन: बहाली सम्बन्धी प्रत्यावेदनों के निस्तारण की प्रक्रिया**</u>

(1) भूतपर्व अवैतनिक अधिकारियों द्वारा निष्कासन आदेश जारी होने की तिथि से 03 वर्षो के अन्तर्गत प्रस्तुत किए जाने वाले बहाली सम्बन्धी प्रत्यावेदनों का निस्तारण कमाण्डेण्ट जनरल, होमगार्डस, उ0प्र0 द्वारा डिप्टी कमाण्डेण्ट जनरल (पुलिस)/डिप्टी कमाण्डेण्ट जनरल (विभागीय) से अनिम्न की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा अधिकृत स्तर के अनुमोदनोंपरान्त गुण-दोष के आधार पर सकारण लिखित आदेश से करेगी।

(2) भूतपूर्व अवैतनिक अधिकारियों द्वारा निष्कासन आदेश जारी होने की तिथि से 03 वर्षो के पश्चात एवं 06 वर्षो के अन्तर्गत प्रस्तुत किए गये प्रत्यावेदनों तथा प्रत्यावेदन समिति

http://shasanadesh.up.nic.in

के निर्णय के विरूद्ध अपील का निस्तारण गुण-दोष के आधार पर कमाण्डेण्ट जनरल होमगार्डस, उत्तर प्रदेश द्वारा किया जायेगा।

(3) भूतपूर्व अवैतनिक अधिकारियों द्वारा निष्कासन आदेश जारी होने की तिथि से 06 वर्षो के पश्चात के उपरान्त प्रस्तुत किए जाने वाले बहाली सम्बन्धी प्रत्यावेदनों अथवा 50 वर्ष की आयु से अधिक भूतपूर्व अवैतनिक अधिकारियों के प्रत्यावेदन पर किसी भी स्तर पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

(4) बहाली के समय अवैतनिक अधिकारियों के पद पर भर्ती हेतु प्रचलित निर्धारित शैक्षिक एवं शारीरिक अर्हताओं को पूर्ण करने वाले भूतपूर्व अवैतनिक अधिकारियों की बहाली पर ही विचार किया जायेगा साथ ही यह भी देखा जायेगा कि उनके चरित्र सत्यापन एवं मेडिकल परीक्षण में कोई प्रतिकूल तथ्य दृष्टिगत न हो।

(5) बहाल किये जाने के पश्चात अवैतनिक कम्पनी कमाण्डर/अवैतनिक सहायक कम्पनी कमाण्डर का 30 दिवसीय तथा अवैतनिक प्लाटून कमाण्डर का 21 दिवसीय प्रशिक्षण कराये जाने के उपरान्त ही ड्यूटी/परेड पर लिया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(6) बहाली सम्बन्धी प्रत्यावेदन पर तभी विचार किया जायेगा जब भूतपूर्व अवैतनिक अधिकारियों से सम्बन्धित ब्लाक/कम्पनी में स्थान रिक्त हो।

(7) एक बार बहाल किये जाने के उपरान्त पुन: निष्कासित किये जाने वाले अवैतनिक अधिकारियों के बहाली सम्बन्धी प्रत्यावेदनों पर विचार नहीं किया जायेगा।

(8) निम्नलिखित कारणों से निष्कासित किये गये अवैतनिक अधिकारियों के बहाली सम्बन्धी प्रत्यावेदनों पर विचार नहीं किया जायेगा।

(क) अपराधिक मामलों में अभियोग पंजीकृत होने तथा आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल होने पर मुकदमा मा0 न्यायालय में लम्बित होने की स्थिति में।

(ख) मा0 न्यायालय द्वारा सजायाफ्ता प्रकरणों में।

(ग) होमगार्डस अधिनियम की धारा-3(1) के अनतर्गत अनुशासनहीनता का आरोप जॉच में प्रमाणित पाये जाने पर किये गये निष्कासन के प्रकरणों में।

(घ) भ्रष्टाचार का आरोप जॉच में प्रमाणित पाये जाने पर किये गये निष्कासन के प्रकरणों में।

(ड) अवांछनीय गतिविधियों में संलिप्तता/दुराचरण/नैतिक अधमता का आरोप सिद्ध होने की स्थिति में।

कृपया तद्नुसार निर्देशों का कडाई से अनुपालन कराने का कष्ट करें।

भवदीय

(स्वामी नाथ पाण्डेय)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

<u>पंजीकृत</u>

होमगार्ड्स मुख्यालय, उ0प्र0,लखनऊ-226005

फोन 91-522-2465501 सीयूजी-91-8005194006 फैक्स +91-522-2450251, ई0मेल cghg-up@nic.in

पत्र संख्या: 119/कार्मिक/हो0स्व0-747/2015(पार्ट-2) **दिनांक जनवरी 05, 2017**

प्रेषित,

समस्त जिला कमाण्डेन्ट,
<u>होमगार्ड्स, उत्तर प्रदेश।</u>

विषय: निष्कासित होमगार्ड्स स्वयंसेवकों एवं अवैतनिक अधिकारियों के पुन: बहाली प्रत्यावेदन पर आख्या <u>उपलब्ध कराया जाना।</u>

उपरोक्त विषयक होमगार्ड्स मुख्यालय के पत्र संख्या 3085/कार्मिक/बैठक-हो0स्व0-07/2014, दिनांक 19 मई, 2015 (स्थायी आदेश संख्या:19/2015) का सन्दर्भ लें, जिसके द्वारा निष्कासित होमगार्ड्स स्वयंसेवकों एवं अवैतनिक अधिकारियों के पुन: बहाली प्रत्यावेदनों पर आख्या प्रेषित किये जाने हेतु प्रारूप निर्धारित करते हुए निर्धारित प्रारूप में आख्या इस मुख्यालय को भेजने के निर्देश निर्गत किये गये थे।

शासनादेश संख्या: 57/2016/2455/पन्चानबे-16-332 होगा/16, दिनांक:02 दिसम्बर, 2016 द्वारा होमगार्ड्स स्वयंसेवकों एवं अवैतनिक अधिकारियों के पुन: बहाली संबंधी प्रत्यावेदनों के निस्तारण के संबंध में प्रक्रिया का निर्धारण किया गया है, जिसमें होमगार्ड्स स्वयंसेवकों/अवैतनिक अधिकारियों के पुन: बहाली हेतु कतिपय अन्य शर्त निर्धारित की गयी है, जिसके फलस्वरूप उक्त निर्धारित 18 बिन्दुओं के प्रारूप में संशोधन की आवश्यकता के दृष्टिगत आंशिक संशोधन किया गया है।

अत: संशोधित प्रारूप की प्रति इस निदेश के साथ संलग्न कर प्रेषित की जा रही है कि अग्रेतर निष्कासित होमगार्ड्स स्वयंसेवकों/अवैतनिक अधिकारियो के पुन: बहाली प्रत्यावेदन पर आख्याएं संलग्न प्रारूप पर ही इस मुख्यालय को भेजा जाना सुनिश्चित करें।

<u>संलग्नक:-यथोक्त।</u>

(एस0एस0प्रसाद)
वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी।

<u>प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-</u>

1- डिप्टी कमाण्डेन्ट जनरल, होमगार्ड्स इलाहाबाद/मेरठ एवं झांसी।
2- समस्त मण्डलीय कमाण्डेन्ट, होमगार्ड्स, उत्तर प्रदेश।
3- मुख्यालय की गार्ड फाइल पर अभिलेखार्थ।

(एस0एस0प्रसाद)
वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी।

निष्कासित होम गार्डस स्वयंसेवकों/अवैतनिक अधिकारियों की बहाली संबंधी रिपोर्ट

नाम	रेजीमेन्टल नम्बर	महिला / पुरूष	श्रेणी	जन्मतिथि	प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करने की तिथि	होमगार्ड के भर्ती होने की तिथि	प्रशिक्षण अवधि मय तिथि
1	2	3	4	5	6	7	8

9	शैक्षिक योग्यता (न्यूनतम हाईस्कूल उत्तीर्ण)		
10	शारीरिक माप दण्ड	ऊॅचाई	
		सीने की माप	
11	निष्कासन की तिथि		
12	निष्कासन का कारण		
13	क्या होम गार्ड कभी किसी लोक सभा, विधान सभा, आम चुनाव में ड्यूटी से अनुपस्थित रहा है यदि हां तो उसका क्या स्पष्टीकरण था (पूर्ण विवरण)		
14	क्या होमगार्ड किसी आपराधिक कृत्य में लिप्त रहा है यदि हां तो उसका पूर्ण विवरण मय धारा एवं जेल में रहने की अवधि, मा० न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल होने की तिथि एवं मुकदमे की अद्यतन स्थिति		
15	क्या होमगार्ड मा० न्यायालय से सजायाफ्ता है, तो उसका विवरण		
16	क्या होमगार्ड के विरूद्ध महिला अथवा बाल उत्पीड़न की कोई शिकायत है। यदि हां तो उसका विवरण		
17	यदि होमगार्ड नशे की हालत में ड्यूटी में पाया गया हो या अनुशासनहीनता, भ्रष्टाचार व अवांछनीय गतिविधियों में संलिप्तता/दुराचरण/नैतिक अधमता का आरोप जॉच में प्रमाणित पाया गया हो, तो उसका विवरण		
18	पूर्व में यदि निष्कासित होमगार्ड को बहाल किया तथा पुन: निष्कासित किया जा चुका है तो उसका विवरण		
19	रिक्ति की सूचना (संबंधित कम्पनी में)		
20	जिला कमाण्डेन्ट की अभ्युक्ति		
21	मण्डलीय कमाण्डेन्ट की अभ्युक्ति		

संख्या-66/2019/1852/पन्चानवे-19-332 होगा/16

प्रेषक,

अनिल कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महासमादेष्टा,
होमगार्डस, उ0प्र0,
लखनऊ।

होमगाडर्स अनुभाग — लखनऊ दिनांक 19 नवम्बर, 2019

विषय: होमगार्डस स्वयंसेवकों एवं अवैतनिक अधिकारियों के पुन: बहाली सम्बन्धी प्रत्यावेदनों का निस्तारण किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-11679/कार्मिक/प्रस्ताव-39/2017, दिनांक 20 सितम्बर, 2019 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2 इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-57/2016/2455/पन्चानबे-16-332 होगा/16, दिनांक 02 दिसम्बर, 2016 के प्रस्तर-2 में होमगार्डस स्वयंसेवकों की पुन: बहाली सम्बन्धी प्रत्यावेदनों के निस्तारण की प्रक्रिया के उप प्रस्तर-(5) तथा अवैतनिक अधिकारियों की पुन: बहाली सम्बन्धी प्रत्यावेदनों के निस्तारण की प्रक्रिया के उप प्रस्तर-(4) को इस सीमा तक संशोधित किया जाता है कि "भूतपूर्व होमगार्डस स्वयंसेवक/अवैतनिक अधिकारी की पुन: बहाली के समय सम्बन्धित भूतपूर्व होमगार्डस स्वयंसेवक/अवैतनिक अधिकारी की भर्ती के समय, जो शैक्षिक योग्यता निर्धारित थी, उसी के आधार पर पुन: बहाल किये जाने पर विचार किया जाय।"

3. शासनादेश संख्या-57/2016/2455/पन्चानबे-16-332 होगा/16, दिनांक 02 दिसम्बर, 2016 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय। कृपया उक्त के अनुसार कार्यवाही करने करने का कष्ट करें।

भवदीय
अनिल कुमार
प्रमुख सचिव।

संख्या-66/2019/1852(1)/पन्चानबे-19 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. समस्त उप महासमादेष्टा/समस्त मण्डलीय कमाण्डेण्ट/समस्त जिला कमाण्डेण्ट, होमगार्डस, उ0प्र0।
2. गार्डबुक।

आज्ञा से,
निर्मला श्रीवास्तव
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-22/2021/119/पन्चानबे-2021-575 होगा/2008 टी0सी0-।।

प्रेषक,

अनिल कुमार,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा मे,

महासमादेष्टा,
होमगार्ड्स विभाग,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

होमगार्ड्स अनुभाग　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　लखनऊ, दिनांक 31 मई, 2021

विषय :होमगार्डस स्वयंसेवकों/अवैतनिक पदाधिकारियों के विरूद्ध आपराधिक मामलों में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-43/2020/1883/पन्चानबे-2020-575 होगा/2008 टी0सी0-।।, दिनांक 22 अक्टूबर, 2020 का संदर्भ ग्रहण करें।

2. उक्त शासनादेश के प्रस्तर-2(5) में यह व्यवस्था है कि विभिन्न शमनीय अपराधों को छोडकर किसी भी आपराधिक मामले में मा0 न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध होने पर सम्बन्धित होमगार्डस स्वयंसेवक/अवैतनिक अधिकारी को विभाग से पृथक कर दिया जाय और दोष मुक्त होने पर निलम्बन को समाप्त कर बहाल कर दिया जाए।

3. उक्त शासनादेश से पूर्व होमगार्डस स्वयंसेवकों एवं अवैतनिक अधिकारियों के पुन: बहाली सम्बन्धी प्रत्यावेदनों का निस्तारण किये जाने विषयक शासनादेश संख्या-57/2016/2455/पन्चानबे-16-332 होगा/16, दिनांक 02 दिसम्बर, 2016 में निर्गत किया गया है। उक्त शासनादेश के प्रस्तर-2 में **होमगार्डस स्वयंसेवकों की पुन: बहाली सम्बन्धी प्रत्यावेदनों के निस्तारण की प्रक्रिया के उप प्रस्तर-(4) एवं अवैतनिक अधिकारियों की पुन: बहाली सम्बन्धी प्रत्यावेदनों के निस्तारण की प्रक्रिया के उप प्रस्तर-(3)** में यह व्यवस्था की गयी है कि "भूतपूर्व होमगार्डस स्वयंसेवकों एवं अवैतनिक अधिकारियों द्वारा निष्कासन आदेश जारी होने की तिथि से 06 वर्षो के उपरान्त प्रस्तुत किए जाने वाले बहाली सम्बन्धी प्रत्यावेदनों अथवा 50 वर्ष की आयु से अधिक भूतपूर्व होमगार्ड्स स्वयंसेवकों/अवैतनिक अधिकारियों के प्रत्यावेदन पर किसी भी स्तर पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।"

होमगार्डस स्वयंसेवकों की पुन: बहाली सम्बन्धी प्रत्यावेदनों के निस्तारण की प्रक्रिया के उप प्रस्तर-(8) एवं अवैतनिक अधिकारियों की पुन: बहाली सम्बन्धी प्रत्यावेदनों के निस्तारण की प्रक्रिया के उप प्रस्तर-(7) में यह व्यवस्था की गयी है कि "एक बार बहाल किये जाने के उपरान्त पुन: निष्कासित किये जाने वाले होमगार्डस स्वयंसेवकों एवं अवैतनिक अधिकारियों के बहाली सम्बन्धी प्रत्यावेदनों पर विचार नहीं किया जायेगा।"

4. शासन के संज्ञान में आया है कि शासनादेश दिनांक 22 अक्टूबर, 2020 के प्रस्तर-2(5) में की गयी व्यवस्था के बाद भी, आपराधिक मामलों में संलिप्त होमगार्डस स्वयंसेवकों/अवैतनिक अधिकारियों के विरूद्ध दर्ज मुकदमे में उनके दोषमुक्त होने पर भी शासनादेश दिनांक 02 दिसम्बर, 2016 के प्रस्तर-2 के **होमगार्डस स्वयंसेवकों की पुन: बहाली सम्बन्धी प्रत्यावेदनों के निस्तारण की**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

...........2.........

प्रक्रिया के उप प्रस्तर-(4) एवं (8) एवं अवैतनिक अधिकारियों की पुन: बहाली सम्बन्धी प्रत्यावेदनों के निस्तारण की प्रक्रिया के उप प्रस्तर-(3) एवं (7) के विहित व्यवस्था के अन्तर्गत बहाल नहीं किया जा रहा है।

5. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि यदि किसी होमगार्डस स्वयंसेवक/अवैतनिक अधिकारियों को उसके विरूद्ध दर्ज आपराधिक वाद हेतु निलम्बित अथवा निष्कासित किया गया है तो सम्बन्धित आपराधिक मुकदमे में न्यायालय से दोषमुक्त होने पर उनके प्रत्यावेदन पर उन्हें बहाल कर दिया जायेगा, भले ही आपराधिक मामला दर्ज होने के कारण उनको सेवा से निलम्बित/निष्कासित किये उनको 06 वर्ष से अधिक की अवधि हो चुकी हो, अथवा उनकी आयु 50 वर्ष से अधिक हो चुकी हो अथवा एक बार बहाल किये जाने के उपरान्त पुन: निष्कासित किया गया हो।

6. यदि ऐसे प्रकरणों में उपरोक्त प्रस्तर-(5) में वर्णित प्रक्रिया से भिन्न निर्णय लिया गया है तो जिला कमाण्डेन्ट, होमगार्ड्स सवंयसेवक/अवैतनिक अधिकारियों के प्रत्यावेदन पर सम्यक परीक्षण के उपरान्त अपना सुस्पष्ट मन्तव्य 01 माह के अन्दर अनिवार्य रूप से होमगार्ड्स मुख्यालय को उपलब्ध करायेंगे तथा महासमादेष्टा, होमगार्ड्स यथा संभव 01 माह में यथोचित कार्यवाही करेंगे।

7. बहाल किये जाने से पूर्व सम्बन्धित होमगार्डस स्वयंसेवक/अवैतनिक अधिकारी का चरित्र सत्यापन उसी प्रकार कराया जाय जैसे भर्ती के समय कराया जाता है।

8. उपरोक्त विषयक से आच्छादित जिन प्रकरणों में होमगार्डस स्वयंसेवक/अवैतनिक अधिकारी द्वारा मा0 न्यायालयों में वाद/रिट याचिकाएं योजित की गयी है, उनमें भी इस शासनादेश के अनुसार निर्णय लेकर वाद में शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाए।

कृपया उपरोक्तानुसार समस्त प्रकरणों में तद्नुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
अनिल कुमार
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-22/2021/119(1)पन्चानबे-2021-575 होगा/2008 टी0सी0-।। तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. समस्त उप महासमादेष्टा, होमगार्डस, उ0प्र0।
2. समस्त मण्डलीय कमाण्डेण्ट, होमगार्डस, उ0प्र0।
3. समस्त जिला कमाण्डेण्ट होमगार्डस, उ0प्र0।
4. गार्डबुक।

आज्ञा से,
नरेन्द्र सिंह
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-25/2021/1215/पन्चानवे-2021-332 होगा/16

प्रेषक,

अनिल कुमार,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महासमादेष्टा,
होमगार्डस, उ0प्र0,
लखनऊ।

होमगाडर्स अनुभाग   लखनऊ दिनांक 07 जुलाई, 2021

विषय: होमगार्डस स्वयंसेवकों एवं अवैतनिक अधिकारियों के पुन: बहाली सम्बन्धी प्रत्यावेदनों का निस्तारण किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

आप अवगत है कि शासनादेश संख्या-57/2016/2455/पन्चानबे-16-332 होगा/16, दिनांक 02 दिसम्बर, 2016 के अनुरूप पुन: बहाली के पश्चात सम्बन्धित होमगार्डस स्वयंसेवकों एवं अवैतनिक अधिकारियों को पुन: निर्धारित पुनरावृत्ति प्रशिक्षण कराने के उपरान्त ही उसे ड्यूटी/परेड पर लिये जाने की व्यवस्था है। शासन के संज्ञान में आया है कि विभिन्न कारणों से प्रशिक्षण केन्द्रो में नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित नहीं हो पाते हैं। ऐसी स्थिति में होमगार्डस स्वयंसेवकों एवं अवैतनिक अधिकारी पुन: बहाली के उपरान्त भी बहुधा लम्बे समय तक ड्यूटी/परेड से वंचित रहते हैं।

2. उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके पत्र संख्या-4540/कार्मिक/प्रस्ताव-39/2017(पार्ट), दिनांक 05 जून, 2020 के क्रम में शासनादेश संख्या-57/2016/2455/ पन्चानबे-16-332 होगा/16, दिनांक 02 दिसम्बर, 2016 के प्रस्तर-2 में होमगार्डस स्वयंसेवकों की पुन: बहाली सम्बन्धी प्रत्यावेदनों के निस्तारण की प्रक्रिया के प्रस्तर-(6) तथा अवैतनिक अधिकारियों की पुन: बहाली सम्बन्धी प्रत्यावेदनों के निस्तारण की प्रक्रिया के प्रस्तर-(5) को समाप्त किया जाता है। तदनुसार होमगार्डस स्वयंसेवकों एवं अवैतनिक अधिकारियों की पुन: बहाली के उपरान्त उन्हें नियमानुसार ड्यूटी/परेड के अवसर उपलब्ध कराएं जाएंगे तथा इस हेतु उनके पूर्व पुनरावृत्ति प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होगी।

3. शासनादेश संख्या-57/2016/2455/पन्चानबे-16-332 होगा/16, दिनांक 02 दिसम्बर, 2016 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय। कृपया उक्त के अनुसार कार्यवाही करने करने का कष्ट करें।

भवदीय
अनिल कुमार
अपर मुख्य सचिव।

.........2

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

........2........

<u>संख्या-25/2021/1215(1)/पन्चानबे-2021 तददिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. समस्त उप महासमादेष्टा होमगार्डस, उ0प्र0।
2. समस्त मण्डलीय कमाण्डेण्ट होमगार्डस ग्रेड-2 उ0प्र0।
3. समस्त मण्डलीय कमाण्डेण्ट होमगार्डस ग्रेड-1 उ0प्र0।
4. समस्त जिला कमाण्डेण्ट, होमगार्डस, उ0प्र0।
5. गार्डबुक।

आज्ञा से,
अशोक कुमार सिंह
अनु सचिव।

http://Shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

<u>संख्या-47/2023/2085/पन्चानबे-2023</u>

प्रेषक,

अनिल कुमार,
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महासमादेष्टा,
होमगार्ड्स, उ0प्र0,
लखनऊ।

होमगार्ड्स अनुभाग लखनऊ: दिनांक 10 नवम्बर, 2023

विषय- होमगार्ड्स स्वयंसेवकों एवं अवैतनिक अधिकारियों के पुन: बहाली सम्बन्धी प्रत्यावेदनों का निस्तारण किये जाने के संबंध में।

महोदय,

होमगार्ड्स स्वयंसेवकों एवं अवैतनिक अधिकारियों के पुन: बहाली सम्बन्धी प्रत्यावेदनों का निस्तारण किये जाने के संबंध में निर्गत शासनादेश संख्या-57/2016/2455/पन्चानबे-16-332 होगा/16, दिनांक 02 दिसम्बर, 2016 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके प्रस्तर-2 के उप प्रस्तर-(1), (2) व (3) पुन: बहाली संबंधी प्राप्त प्रत्यावेदनों के निस्तारण का स्तर एवं प्रत्यावेदनों के निस्तारण हेतु समय निर्धारित किया गया है।

2- इस संबंध में शासन के संज्ञान में यह आया है कि होमगार्ड्स विभाग से निष्कासित कतिपय होमगार्ड्स स्वयंसेवकों द्वारा अपने निष्कासन के विरूद्ध प्रत्यावेदन देते हुए पुन: बहाल किये जाने का अनुरोध किया जाता है, जिनका निस्तारण संबंधित अपीलीय अधिकारियों द्वारा प्रत्यावेदन को उक्त शासनादेश में विहित समयावधि में प्राप्त प्रदर्शित करते हुये अत्यंत विलंब से भी किया जा रहा है। इससे उक्त शासनादेश की मंशा का यथोचित अनुपालन नहीं हो रहा है।

3- अत: वर्णित स्थिति में सम्यक विचारोपरान्त होमगार्ड्स स्वयंसेवकों एवं अवैतनिक अधिकारियों के पुन: बहाली सम्बन्धी प्रत्यावेदनों का निस्तारण किये जाने के संबंध में निर्गत शासनादेश संख्या-57/2016/2455/पन्चानबे-16-332 होगा/16, दिनांक 02 दिसम्बर, 2016 के प्रस्तर-2 के उप प्रस्तर-(1), (2) व (3) में उल्लिखित प्रक्रिया को स्पष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निष्कासित होमगार्ड्स स्वयंसेवकों/अवैतनिक अधिकारियों द्वारा अपने निष्कासन के विरूद्ध दिये गये प्रत्यावेदन का निस्तारण उसके निष्कासन आदेश निर्गत होने से 02 वर्ष के अन्दर सक्षम स्तर के रूप में मण्डलीय कमाण्डेन्ट द्वारा, 02 वर्षों

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

के पश्चात एवं 04 वर्षो के अन्दर सक्षम स्तर के रूप में डिप्टी कमाण्डेन्ट जनरल द्वारा एवं 04 वर्षों के पश्चात एवं 06 वर्ष के अन्दर कमाण्डेन्ट जनरल, होमगार्ड्स, उ0प्र0 द्वारा गुण-दोष के आधार पर प्रत्यावेदन निस्तारण अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जाय।

कृपया तदनुसार उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
अनिल कुमार
अपर मुख्य सचिव

संख्या-47/2023/2085(1)/पन्चानबे-2023, तद्‌दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- समस्त उप महासमादेष्टा, होमगार्ड्स, उ0प्र0।
2- समस्त मण्डलीय कमाण्डेन्ट, होमगार्ड्स, उ0प्र0।
3- समस्त जिला कमाण्डेन्ट, होमगार्ड्स, उ0प्र0।
4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
जय सिंह
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।